तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज पौखरमल / कुलचन्द मु.नं. 25/20

हस्तगत प्रकरण में विवादग्रस्त आराजी भूमि पर प्रार्थी अपना कब्जा व आधिपत्य साबित करने में असफल रहा है। चूंकि प्रार्थी का प्रथम दृष्टवा मामला उपर किये गये विवेचन के अनुसार नहीं पाया गया है। इसलिए सुविधा का संतुलन एंव अपूर्तनीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं माने जा सकते है।

अतः उपरोक्त विवेचन से तथा विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्तों की रोशनी में प्रार्थी द्वारा प्रथम दृष्टवा मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूर्तनीय क्षति के बिन्दू अपने पक्ष में साबित नहीं कर पाने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य न पाये जाने से, अस्वीकार कर, खारिज की जाती है।

"आदेश"

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज की जाती है तथा इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 06.07.2020 को प्रभावहीन किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

(बृजेश गुप्ता)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर(सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 15.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेश गुप्ता)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर(सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijesh Kumar
Date: 2020.10.20 11:46:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner